कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 296 दिनांकः– 20/4/17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **J.U.S.N.L द्वारा दुमका, देवघर, जामताड़ा एवं धनबाद वन प्रमंडल अन्तर्गत गोविन्दपुर से दुमका तक 220 K.V. D/C ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 16.2635 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **1. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका के पत्रांक 560 दिनांक 10.04.2017**
2. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर के पत्रांक 387 दिनांक 11.04.2017
3. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पत्रांक 418 दिनांक 10.03.2017

महाशय,

प्रांसगिक पत्रों द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 16.2635 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पाँच–पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। इस परियोजना की ट्रान्समिशन लाइन कुल चार वन प्रमंडलों क्रमशः दुमका, देवघर, जामताड़ा एवं धनबाद वन प्रमंडल से होकर गुजरेगी। उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्राप्त वन संरक्षकों के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

1. यह परियोजना कुल चार वन प्रमंडल क्रमशः दुमका, देवघर, जामताड़ा एवं धनबाद वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. इस परियोजना में कुल 16.2635 हे0 वनभूमि अन्तर्ग्रस्त है, जिसमें 11.9625 हे0 जंगल–झाड़ एवं 4.301 हे0 अधिसूचित वनभूमि है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी Part-II में दिये गये सूचनानुसार रकबावार / प्रमंडलवार निम्नवत् है :–

क्र0सं0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा	जंगल–झाड़ी वनभूमि का रकबा	कुल रकबा	वनस्पति घनत्व
1	दुमका	1.8271	2.2777	4.1048	0.4
2	देवघर	2.0850	3.4679	5.5529	0.2 to 0.4
3	जामताड़ा	Nil	6.2169	6.2169	0.05 to 0.10
4	धनबाद	0.3889	Nil	0.3889	0.1
कुल – 04		**4.301**	**11.9625**	**16.2635**	

4. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन दर्ज है।
5. प्रस्ताव के साथ पार्ट–II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद, देवघर, जामताड़ा एवं दुमका का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट–III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका, बोकारो एवं देवघर का मंतव्य दर्ज है। साथ ही अलग–अलग संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

D:\SUNIL\Proposal (K)\JUSNL\Govindpur to Dumka, 220 KV DC

6. पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।

7. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।

8. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर ट्रान्समिशन लाईन का आरेखन दिखाते हुए संलग्न है।

9. प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।

10. वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।

11. वन प्रमडल पदाधिकारी जामताड़ा, देवघर तथा धनबाद ने यह सूचित किया है कि इस परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम का Violation किया गया है। अतः इस प्रस्ताव में नियमितिकरण का मामला भी सन्निहित है तथा दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण का मामला बनेगा।

12. इस परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण ने सूचित किया है कि कुल 14 (चौदह) टावरों का निर्माण वन भूमि में किया जायेगा।

13. प्रस्ताव के साथ लागत–लाभ विश्लेषण संलग्न है।

14. सभी उपायुक्तों द्वारा जंगल–झाड़ भूमि उपयोग हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है।

15. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् दावारहित प्रमाण–पत्र उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक 876 दिनांक 26.10.2016, उपायुक्त, देवघर के पत्रांक 352 दिनांक 25.02.2017, उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक 1250 दिनांक 29.10.2016 एवं उपायुक्त, दुमका का पत्रांक 1798 दिनांक 20.12.2016 द्वारा प्राप्त है।

16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।

17. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सभी वन प्रमंडलों में दो गुणे अवकृष्ट वन भूमि का चयन किया गया है, जो प्रमंडलवार निम्नवत् है :–

क्र0सं0	वन प्रमंडल पदाधिकारी का नाम	मौजा का नाम/थाना/थाना नं0	प्लॉट सं0	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा
1	जामताड़ा वन प्रमंडल	छोटा सुनसुनडबरा/ पिंडारी/18	195	13.22 हे0
2	दुमका वन प्रमंडल	नकटी/दोड़िया/19	20	11.86 हे0
3	देवघर वन प्रमंडल	गंगोमारनी/मधुपुर/217	217/ए पी	11.25 हे0
				36.33 हे0

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा एवं प्राक्कलन संलग्न है।

18. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। परन्तु कुछ वन प्रमण्डलों में इन क्षेत्रों में यदा–कदा हाथियों का विचरण होने की सूचना प्राप्त है। साथ ही अन्य वन्यप्राणियों की संबंधित क्षेत्रों में उपस्थिति संबंधी सूचना दी गयी हैं।

19. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्त नहीं है। इस हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।

20. वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त प्रस्ताव को ऑनलाईन कर Time Line इस पत्र के साथ संलग्न किया जाता है।

21. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा लोकहित में की गई है, इससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।

प्रस्ताव की दो–दो मूल प्रतियाँ प्रत्येक वन प्रमंडल से भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 16.2635 हे0 वनभूमि अपयोजन/नियमितिकरण हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

20/4/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

20.4.17

D:\SUNIL\Proposal (K)\JUSNL\Govindpur to Dumka, 220 KV DC

<u>PART –IV</u>

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

220 KV D/C GOVINDPUR DUMKA TRANSMISSION LINE

16.2635 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 16.2635 ha. Forest land.

Date :- 20.04.2017

Place :- Ranchi.

Signature

20/4/17

(RAMESH RAMSAI HEMBROM)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests
-cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)